छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2009
(आषाढ़ - 29, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)

1. राष्ट्रगीत

सदन में **वन्दे मातरम्** की धुन बजाई गई ।

2.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्रीमती कलावती मेहता, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा की पूर्व सदस्य, श्री मदन गोपाल सिंह, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री बलवीर खनूजा, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री रामलाल चन्द्राकर, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व राज्य मंत्री, मोहम्मद याकूब रजवानी, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, श्री हबीब तनवीर, प्रसिद्ध रंगकर्मी तथा राज्यसभा के पूर्व मनोनीत सदस्य एवं राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा में नक्सली मुठभेड़ में शहीद पुलिस अधिकारी एवं जवानों के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए ।

मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे एवं श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.27 बजे स्थगित होकर 11.35 बजे पुनः प्रारंभ हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)

3. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2009 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

वित्तीय कार्य	निर्धारित समय
वर्ष 2009-2010 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	3 घंटे

	शासकीय विधि विषयक कार्य	निर्धारित समय
1.	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009	15 मिनट
2.	छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2009	15 मिनट
3.	छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2009	15 मिनट
4.	छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) विधेयक, 2009	15 मिनट

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4. प्रश्नोत्तर

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न किये जाने हेतु श्री राजकमल सिंधानिया, सदस्य का नाम पुकारा गया।

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा मदनवाड़ा में हुई नक्सली मुठभेड़ के मामले में मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की गई एवं पर्चे लहराए गए।

माननीय अध्यक्ष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने का अनुरोध किया गया परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य निरंतर व्यवधान करते हुए पर्चे लहराते रहे।

संसदीय कार्य मंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा पर्चे लहराए जाने पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सदन की गरिमा के अनुकूल सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग का आग्रह किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.45 बजे स्थगित की जाकर 11.50 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)

5. व्यवस्था

सदन में पर्चे लहराना सदन की गरिमा के प्रतिकूल है

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य यह पर्चे लहराना बंद करें तथा इस सदन की गरिमा को बनाये रखें ये सदन की गरिमा के प्रतिकूल हैतथा ये उचित नहीं है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा व्यवधान एवं नारेबाजी की गई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा स्थगन पर सदन के नेता की सहमति एवं प्रश्नकाल स्थगित कर स्थगन पर चर्चा कराने का उल्लेख करते हुए सदन चलने देने का अनुरोध किया गया।

डॉ.रमन सिंह मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल स्थगित कर स्थगन पर तत्काल चर्चा कराने की सहमति दी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.55 बजे स्थगित की जाकर 12.10 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए ।)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा व्यवधान एवं नारेबाजी की गई।

6. जनवरी-फरवरी, 2009 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार जनवरी-फरवरी, 2009 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे गए ।

7. नियम 267-क के अधीन जनवरी-फरवरी, 2009 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन जनवरी-फरवरी, 2009 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया ।

8. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि द्वितीय विधान सभा के जुलाई, 2008 में पारित 10 विधेयकों में शेष रहे 03 विधेयकों में से 01 पर तथा तृतीय विधान सभा के जनवरी-फरवरी 2009 सत्र में पारित 04 विधेयकों में सभी पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गयी है। अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण सचिव, विधानसभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक -30-क की अपेक्षानुसार, द्वितीय विधानसभा के जुलाई, 2008 सत्र में पारित 10 विधेयकों में शेष रहे 03 विधेयकों में से 01 तथा तृतीय विधान सभा के जनवरी-फरवरी, 2009 में पारित 04 विधेयकों में से सभी पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गयी है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया ।

अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

9.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

1. श्री बद्रीधर दीवान
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. श्री नारायण चंदेल
4. डॉ. शक्राजीत नायक
5. डॉ.हरिदास भारद्वाज

निरंतर व्यवधान के कारण मध्याह्न 12.15 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 30, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा